रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381] दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 24, 2017/कार्तिक 2, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 294
No. 381] DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 2017/KARTIKA 2, 1939 [N.C.T.D. No. 294

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2017

**सं. एफ. 12/41/2017/प्र.सु./9070.**—जबकि प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम संघीय सरकार एवं अन्य नामक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 1996 की डब्लू.पी. (सी) सं. 310 में दिये गये निर्देशों का क्रियान्वयन करने के लिये भारत सरकार के पूर्वानुमोदन से दिनांक 17.11.2011 के पत्र संख्या 14040/127/2010–UTP द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने यह निर्णय सूचित किया था कि दिनांक 30.7.1998 की अधिसूचना संख्या 4/14/94–प्र.सु. तथा दिनांक 27.2.2012 की अधिसूचना संख्या 12/04/2011/प्र.सु./1630–1789 द्वारा यथासंशोधित दिनांक 25.09.1997 की अधिसूचना संख्या 4/14/94–प्र.सु. में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा स्थापित लोक शिकायत आयोग की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों का विस्तार किया जाये।

जबकि, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के परिणामस्वरूप विनियामक प्राधिकरण/निकायों के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन में संशोधन से संबंधित दिनांक 27.6.2017 के पृश्ठांकन संख्या फा. (21)/वि.(स्थापना–3)/07/सीपीसी 2016/665 द्वारा वित्त (स्था.–3), राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सूचित के अनुसार कार्मिक, जनशिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 30.5.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या फा. 3/4/2016–स्था. (वेतन–II) के अनुपालन में।

अतः अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, उक्त निर्देशों के अनुपालन में समय–समय पर यथासंशोधित उक्त संदर्भित अपने संकल्प में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, जो दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होगें, अर्थात्:—

संशोधन

पैरा 2 में खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

1. ''अध्यक्ष महोदय को 2,25,000 रुपये प्रतिमाह (निश्चित) (पे मैट्रिक्स का स्तर–17) के वेतन भत्तों के साथ समय–समय पर यथा ग्राह्य ऐसे भत्तों का भुगतान किया जायेगा, आगे उपबंध यह है कि यदि अध्यक्ष अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अंतर्गत या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी पूर्व सेवा के संबंध में पेंशन प्राप्त करता है, आयोग में उसकी सेवा को ध्यान में रखे बिना उसका वेतन उसकी पेंशन राशि द्वारा घटायी जाएगी। पूर्णकालिक सदस्य को समान शर्तों के अधीन 2,11,300 रुपये प्रतिमाह (निश्चित) (पे मैट्रिक्स का स्तर–15) के वेतन भत्तों के साथ समय–समय पर यथा ग्राह्य ऐसे भत्तों का भुगतान किया जायेगा, आगे उपबंध यह है कि यदि सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अंतर्गत या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी पूर्व सेवा के संबंध में पेंशन प्राप्त करता है, आयोग में उसकी सेवा को ध्यान में रखे बिना उसका वेतन उसकी पेंशन राशि

द्वारा घटायी जाएगी। अध्यक्ष तथा सदस्यों (अंशकालिक सदस्यों सहित) की अन्य शर्तें तथा सेवा शर्तों भारत सरकार में समतुल्य पद रखने वाले अधिकारियों पर लागू शर्तों के समान होगी।''

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,
राकेश बाली, सचिव (प्रशासनिक सुधार)

**ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT**
**RESOLUTION**

Delhi, the 24th October, 2017

**No. F. 12/41/2017/AR/9070.—**Whereas in order to implement the directions of Hon'ble Supreme Court in W.P.(C ) No. 310 of 1996, titled "Prakash Singh & Ors Vs. Union of India & Ors" it has been decided with the prior approval of Government of India conveyed by the Ministry of Home Affairs vide letter No. 14040/127/2010-UTP, dated 17.11.2011 to extend the role and responsibility of Public Grievances Commission set up by the Government of National Capital Territory of Delhi vide Notification No. 4/14/94-AR, dated 25.09.1997 as modified by the Notification Nos. 4/14/94-AR, dated 30.07.1998 and 12/04/2011/AR/1630-1789, dated 27.02.2012

Whereas in order to implement the Office Memorandum No. F.3/4/2016-Estt.(Pay-II) dated 30.05.2017 issued by Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, conveyed by Finance (Estb.III) Department, Government of NCT of Delhi vide endorsement No. F.(21)/Fin.(Estt-III)/07/CPC2016/665 dated 27.06.2017 regarding revision of pay of Chairperson and Member of the Regulatory Authorities/Bodies consequent to the implementation of the 7th Central Pay Commission recommendations.

Now, therefore, in order to comply with the above directions, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments in its Resolution referred to above as modified from time to time which shall come into force with effect from 01.01.2016, namely:—

**AMENDMENTS**

In paragraph 2, for clause (v) the following clause shall be substituted, namely:—

1. "The Chairman shall be paid Rs. 2,25,000/- per month (fixed) (Level 17 of Pay Matrix) together with such allowances as admissible from time to time, provided further that if the Chairman at the time of his appointment is in receipt of pension in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of State, his salary, irrespective of his service in the Commission, shall be reduced by the amount of that pension. The Whole time Member shall be paid Rs. 2,11,300/- per month (fixed) (Level 15 of Pay Matrix) together with such allowances as admissible from time to time, provided further that if the Whole time Member at the time of his appointment is in receipt of pension in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of State, his salary, irrespective of his service in the Commission, shall be reduced by the amount of that pension. The other terms and conditions of service of the Chairman and Members (including part-time Members) shall be such as are applicable to the officers of comparable status in the Government of India."

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
RAKESH BALI, Secy. (Administrative Reforms)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.10.28 10:18:56 +05'30'